

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>राजूराम बनाम लो.सू.अधिकारी (तहसीलदार कुड़ी भगतावनी)</p> <p>सू.अ.अ.अपील सं० 53/2023 ()</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>05.02.24</p>	<p>अपीलार्थी राजूराम विश्नोई निवासी 564, मंगलनगर, गुड़ा विश्नोईयान पं.स. लूणी जिला जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 28.10...2023. में उसके द्वारा (1) राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-7) विभाग के पत्रांक प.3(146)राज-7/2011 दिनांक 05.07.2012 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्रांक प. 10(3)राज-6/2001पार्ट/5 दिनांक 26.06.2012 की पालना में कुड़ी तहसील के अधीनस्थ राजस्व ग्राम पाल एवं सांगरिया में चिन्हित अतिक्रमणों एवं न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष दर्ज करवाये गये रेफरेंस की सूची , से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार कुड़ी भगतासनी) से जरिये पत्रांक 968 दिनांक 22.12.2023 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी राजूराम विश्नोई द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र पोस्टल ऑर्डर सं० 61एफ 831498 में चाही गई सूचना तैयार करवा कर दिनांक 27.10.2023 को जरिये डाक से प्रार्थी को नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर सूचना प्रेषित की गई।</p> <p>अपीलार्थी ने उक्त अपील मय प्रार्थना पत्र प्रति (संलग्न भा.पो.आ. सं० 61ए 831500) के अनुसार राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-7) विभाग के पत्रांक प.3(146)राज-7/2011 दिनांक 05.07.2012 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप-6) विभाग के पत्रांक प.10(3)राज-6/2001पार्ट/5 दिनांक 26.06.2012 की पालना में कुड़ी तहसील के अधीनस्थ राजस्व ग्राम पाल एवं सांगरिया में चिन्हित अतिक्रमणों एवं न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर के समक्ष दर्ज करवाये गये रेफरेंस-की सूची से संबंधित सूचना चाही गई अतः तहसीलदार कुड़ी भगतासनी की रिपोर्ट अस्पष्ट होने से अस्वीकारीय है। अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार कुड़ी भगतासनी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारण से अवगत करवाया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	